न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र० R/122-II/2006

रवीन्द्र मोहन नामदेव
तनय श्री राम गोपाल नामदेव
निवासी: ओरछा, तह० निवाड़ी
जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)

...आवेदक

विरुद्ध

1. रमेश चन्द्र जैन
तनय हीरा लाल जैन
साकिन 215, बासौन, झाँसी
तह० व जिला: झाँसी (उ०प्र०)
2.- म०प्र० शासन

... प्रत्यर्थी/अनावेदक

अंतिम सुनवाई दि० 05/08/2011

प्रकरण अन्य न्यायालय को अन्तरित करने बावत विनय.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 2434–पीबीआर / 2014 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों व अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–8–2014	आवदक रवीन्द्र मोहन स्वय उपस्थित । उनके द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य के न्यायालय में प्रचलित निगरानी प्रकरण क्रमांक 122–दो / 2006 अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध इस तर्क के साथ किया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा कहा जा रहा है कि उसके पक्ष में ही आदेश पारित होगा । इस संबंध में 1995 R.N. 4 पंचवटी सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित इंदौर विरूद्ध ग्रीन पार्क सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित इंदौर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :– "धारा 29 (1)–व्याप्ति–एक सदस्य से अन्य सदस्य को मामला अंतरण हेतु अध्यक्ष को आवेदन–न्यायिक शक्ति के विषय में अध्यक्ष और सदस्यगण समान पद श्रेणी में हैं–धारा के उपबंध केवल एक राजस्व अधिकारी से अन्य राजस्व अधिकारी को मामले अंतरण करने के विषय में लागू होते हैं – अध्यक्ष द्वारा एक सदस्य से अन्य सदस्य को मामला अंतरण करने हेतु ऐसी शक्ति प्रयुक्त नहीं की जा सकती ।" "धारा 9 तथा 41– राजस्व मंडल की अधिकारिता के नियम–नि.2– अध्यक्ष की अधिकारिता –अध्यक्ष और सदस्यगण न्यायिक शक्ति में समान पद श्रेणी में हैं –स्वयं अपने तथा सदस्यगण के बीच मामलों के कार्य वितरण का आबंटन किया जा सकता है– अध्यक्ष को एक सदस्य से दूसरे सदस्य को मामला अंतरण करने की अधिकारिता नहीं है ।" उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आवेदक का प्रकरण स्थानातरण सबधी आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	